राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./पार्ट–4/2010 जयपुर, दिनांक 17/11/11

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60:40 निर्धारित रखते हुए पक्के कार्य स्वीकृत करने के कम में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि **राजस्थान प्रदेश सरपंच एसोसिएशन द्वारा दिनांक 31.10.2011 को एक ज्ञापन राज्य सरकार को प्रेषित** किया गया जिसमें महात्मा गांधी नरेगा **योजनान्तर्गत पक्के कार्य स्वीकृत करने, श्रम सामग्री का अनुपात 60:40 ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित करने, वित्तीय वर्ष 11–12 के तहत बनायी गयी कार्य योजना के कार्य स्वीकृत किये जाने के संबन्ध में मांग** की गयी है।

महात्मा गांधी नरेगा **अधिनियम 2005 की अनुसूची–1 के पैरा 9** के प्रावधान के अन्तर्गत **सामग्री मद में अधिकतम 40 प्रतिशत राशि** व्यय की जा सकती है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी **दिशा निर्देश 2008 के बिन्दु संख्या 6.2** में वर्णित किया है कि उक्त अनुपात को **प्राथमिकता के आधार पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर लागू** किया जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार द्वारा **दिनांक 18.06.2008 को व्यक्तिगत लाभार्थी** के कार्यों के संबन्ध में **जारी अधिसूचना के बिन्दु संख्या 2(i)(ख)** के अनुसार ऐसी **प्रत्येक परियोजना के लिए श्रम सामग्री का अनुपात 60:40 ग्राम पंचायत स्तर पर रखा जाना आवश्यक** है। राज्य सरकार द्वारा जारी **"अपना खेत अपना काम" मार्गदर्शिका में व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों में श्रम सामग्री अनुपात संधारित किये जाने के संबन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश** जारी किये गये है।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी नरेगा मार्गदर्शिका 2008 के बिन्दु संख्या 1.2(ख) के अनुसार **नरेगा का एक मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसम्पति का निर्माण भी** है।

उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि **योजनान्तर्गत सामग्री मद में अधिकतम 40 प्रतिशत व्यय करते हुए टिकाऊ परिसम्पतियों का निर्माण किया जाना महात्मा गांधी नरेगा के मुख्य उद्देश्यों में से एक** है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में **कन्वर्जेन्स भी अनुमत** है। अतः **सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक व्यय होने की स्थिति में इस व्यय को कन्वर्जेन्स के गाध्यम से अन्य योजनाओं में नियमानुसार** किया जा सकता है।

श्रम सामग्री का अनुपात निर्धारित सीमा में रखे जाने हेतु एवं **योजनान्तर्गत रोजगार की मांग करने वाले परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ टिकाऊ परिसम्पतियों के निर्माण** हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए:–

1. योजनान्तर्गत **स्वीकृत कार्यों की समीक्षा** की जावें एवं इसमें **सर्वप्रथम दिनांक 01.04.2010 से पूर्व स्वीकृत ऐसे कार्य जो अभी तक प्रारम्भ नही हुए है एवं जिसमें सामग्री मद का व्यय अधिक है उन्हें निरस्त** किये जावें परन्तु इसमें **भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र एवं ईको रेस्टोरेशन के कार्यों को निरस्त नही किया** जावे। **तत्पश्चात पूर्व के वर्षो के ऐसे कार्य जिनमें दिनांक 01.04.2010 के पश्चात कोई कार्य नहीं हुआ है एवं वर्तमान में इन कार्यों पर मौके पर कार्य करवाने की आवश्यकता नहीं है एवं उन्हें सुरक्षित स्तर (Safe Stage) पर बन्द किया जा सकता है तो उनकी देनदारियों का आंकलन कर एवं आवश्यकतानुसार प्रशासनिक/तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां पुनः जारी कर उनका भुगतान किया जाकर कार्य पूर्ण** घोषित किया जावें एवं नरेगा के एम. आई. एस. में आवश्यक रूप से प्रविष्टि कर दी जाये। इस प्रकार **प्रत्येक कार्य की समीक्षा के उपरान्त श्रम एवं सामग्री की वर्तमान स्थिति का आंकलन** किया जावें।

2. **पक्के कार्य कराए जाने के लिये श्रम प्रधान अन्य कार्यों यथा चारागाह विकास के कार्य एवं अपना खेत अपना काम जैसे कार्य स्वीकृत** किये जावें। इस प्रकार के कार्य स्वीकृत करने से सामग्री मद हेतु राशि उपलब्ध हो सकेगी। उदाहरणार्थ यदि किसी ग्राम पंचायत में 40 कार्य अपना खेत अपना काम के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते है तो कुल रू. 60 लाख की स्वीकृति हो जाती है एवं इसमें सामग्री मद में व्यय हेतु राशि रू. 24 लाख उपलब्ध होती है। यदि इन कार्यों पर सामग्री मद में रू. 10 लाख का ही व्यय अनुमानित होता है तो राशि रू. 14 लाख सामग्री मद में अतिरिक्त रहती है जिसे ऐसे पक्के कार्यों में जिनमें सामग्री मद पर व्यय अधिक संभावित है, में इस प्रकार उपयोग में लिया जा सकता है कि सामग्री मद में कुल व्यय 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

3. **व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों में प्रत्येक कार्य (परियोजना) हेतु श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60:40 ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित** किया जावे।

4. योजनान्तर्गत **पत्थर/ईंट के खरन्जे** आदि के कार्य कराये जाने के संबंध में विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक **28.03.2011** की पालना सुनिश्चित की जावें, जिसके **बिन्दु संख्या 4** में यह स्पष्ट वर्णित किया गया है कि **"इन कार्यों की स्वीकृति जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्व स्वीकृत कार्यों को सम्मिलित करते हुये सामग्री मद में व्यय 40 प्रतिशत से अधिक न हो। सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक व्यय की सम्भावना होने की स्थिति में अन्य योजनाओं यथा एमएलएलेड, बीआरजीएफ आदि से नियमानुसार डवटेल कर अतिरिक्त राशि की व्यवस्था** की जावे"।

5. योजनान्तर्गत **टिकाऊ परिसम्पतियॉ निर्मित किये जाने पर जोर** दिया जावे एवं **जिला स्तर पर सामग्री मद में व्यय 40 प्रतिशत से कम होने/संभावित होने** की स्थिति में सर्वप्रथम पूर्व में स्वीकृत पक्के कार्यों को पूर्ण कराया जावे। पूर्व में **स्वीकृत पक्के कार्य नहीं होने की स्थिति में अन्य पक्के कार्य स्वीकृत किये जावे परन्तु नये कार्य स्वीकृत करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि ग्राम पंचायत में पक्के कार्य अधूरे/अपूर्ण कार्य शेष नही**

17/11

है। इस प्रकार स्वीकृत किये जाने वाले कार्यों में **पक्के कार्य सर्वप्रथम उन ग्राम पंचायतों में किये जाने चाहिए जहां सामग्री मद में व्यय 40 प्रतिशत से कम है।**

6. **श्रम सामग्री पर हो रहे व्यय की नियमित समीक्षा** की जावे एवं **प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सामग्री मद पर योजनान्तर्गत कुल व्यय का 40 प्रतिशत से अधिक नही हो यह सुनिश्चित** किया जावे। **अन्य योजनाओं/विभागों के साथ कन्वर्जेन्स का लाभ उठाने** का भी प्रयास किया जावे **ताकि सामग्री मद हेतु राशि उपलब्ध** हो सके। योजनान्तर्गत होने वाले **व्यय में श्रम एवं सामग्री का अनुपात प्राथमिकता के आधार पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला स्तर पर संधारित किये जाने का प्रयास** किया जावे **किन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नही समझा जावे कि किसी भी ग्राम पंचायत में सामग्री मद में व्यय 40 प्रतिशत से अधिक नही हो सकता है।**

7. कार्य का **वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित होने का तात्पर्य यह कदापि नही है कि कार्य की स्वीकृति जारी किया जाना आवश्यक** है। **कार्य स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संबन्धित ग्राम पंचायत में रोजगार की मांग कर रहे सभी श्रमिकों का नियोजन वर्तमान में चल रहे कार्यों पर किया जाना संभव नही है एवं ग्राम पंचायत में अधूरे/अपूर्ण कार्य नही** है जिन पर उनका नियोजन संभव हो सके।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

भवदीय

(सी.एस.राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा जयपुर/जोधपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता (नरेगा) समस्त राजस्थान।
4. कार्यक्रम अधिकारी कम विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि सभी सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक को आवश्यक रूप से अवगत कराया जावे तथा इन निर्देशों की प्रति समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों को उपलब्ध करायी जावे।
5. रक्षित पत्रावली।

17/11/11

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस